लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा-बून्दी जल परियोजनाओं की समीक्षा की

■ दिल्ली में आयोजित बैठक में बिरला ने कार्यों में तेजी और पारदर्शिता के निर्देश दिए

कोटा, (निसं)। कोटा-बून्दी संसदीय क्षेत्र में जन स्वास्थ्य एवं जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गति लाई जाए और हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित हो।

दिल्ली में आयोजित वर्चुअल बैठक में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, कोटा कलेक्टर पीयूष सामरिया, बून्दी कलेक्टर अक्षय गोदारा सहित दोनों जिलों के वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े, जबकि लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव गौरव गोयल एवं ओएसडी राजेश गोयल बैठक में उपस्थित रहे।

बिरला ने कहा कि सिंचाई और पेयजल से जुड़ी परियोजनाएं आमजन के जीवन से सीधा संबंध रखती हैं, अत: इन कार्यों में किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही अस्वीकार्य होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां कार्य प्रगति पर हैं वहां गति बढ़ाई जाए, और जिन योजनाओं की स्वीकृति या निविदा प्रक्रियाएं लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए।

बैठक में नवनेरा बैराज और परवन बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर विशेष चर्चा हुई। बिरला ने नवनेरा में जलभराव को सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि अब सभी 27 गेट्स बंद हो चुके हैं, जिससे यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण शीघ्र पूर्ण हो ताकि परियोजना में कोई व्यवधान न आए। उन्होंने प्रभावित किसानों को समयबद्ध मुआवजा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। साथ ही, परवन परियोजना के दूसरे चरण के कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए।

बून्दी जिले में सिंचाई ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए मेज, अरू और कूरेल नदियों पर प्रस्तावित एनीकट और नहर प्रणाली विकास कार्यों की भी समीक्षा हुई। बिरला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों को सशक्त करना और 'हर खेत तक पानी' पहुंचाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने कहा कि पांच करोड़ रुपये से कम लागत वाली परियोजनाओं को विभागीय स्तर पर शीघ्र स्वीकृत किया जाए ताकि कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। गुढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना, बटावदी मुख्य नहर, डाबी टैंक और चाकन बांध से जुड़े विकास कार्यों की डीपीआर तथा बजट स्वीकृति प्रक्रियाओं को भी शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए।

शहरी और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए बिरला ने रामगंजमंडी, सांगोद, इटावा, कैथून और सुल्तानपुर में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया, साथ ही उनके समयबद्ध निष्पादन पर जोर दिया।

बैठक में बताया गया कि कोटा उत्तर और दक्षिण में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी निविदाएं दोबारा जारी की गई हैं, जबकि हिण्डोली-नैनवां वृहद पेयजल परियोजना का 72 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

गरड़दा और नवनेरा पेयजल योजनाओं के लिए वन विभाग व वन्यजीव विभाग की स्वीकृति प्रक्रियाओं पर भी चर्चा हुई। बिरला ने निर्देश दिए कि पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी अड़चनों को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने जल संसाधन और पेयजल ढांचे को समावेशी क्षेत्रीय विकास की आधारशिला बताते हुए अधिकारियों को समन्वय, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा, वन विभाग की स्वीकृति और बजट स्वीकृति जैसी प्रक्रियाएं समयबद्ध पूरी की जाएं ताकि किसी भी योजना में बाधा उत्पन्न न हो। बिरला ने निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक निर्बाध रूप से पहुंचे। अधिकारी सुनिश्चित करें कि किसी भी क्षेत्र में जल संकट न उत्पन्न हो और दीर्घकालिक समाधान के दृष्टिकोण से योजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाएं तय समय सीमा में पूर्ण हों और उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।

इसके साथ ही, उन्होंने तालाबों के जीर्णोद्धार और अन्य स्थानीय जल संरचनाओं को भी प्राथमिकता से पूरा करने को कहा।

अवैध मादक पदार्थ अफीम सहित तीन गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने मादक पदार्थ विरोधी अभियान को जारी रखते हुए सूचना पर जिला झालावाड़ के सुलिया चौकी भवानीमंडी सुनेल रोड पर कार्यवाही करते हुए एक कार को रोककर तलाशी के दौरान कार से अवैध मादक पदार्थ 6.615 किलोग्राम अफीम बरामद की गई एवं तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में कार्यवाही की गई। उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि कोटा के पंजीकरण नम्बर वाली एक स्विफ्ट डिजायर कार अवैध अफीम तस्करी के लिये सुनेल रोड़ से निकलने वाली है। उक्त सूचना पर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भवानीमंडी सेल के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई।

ओम बिरला आज से कोटा प्रवास पर

कोटा, (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार को एक दिवसीय प्रवास पर कोटा आएंगे। प्रवास के दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। प्रात: 10 बजे वे मेनाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब में आयोजित रेलवे जनसम्पर्क अधिकारियों की संगोष्ठी में भाग लेंगे। इसके पश्चात दोपहर 12 बजे वे बपावर कृषि मंडी में आयोजित लाड़ली बहना सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के साथ सम्मिलित होंगे।

एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन की साधारण आमसभा का आयोजन

■ आर.के. जैन अध्यक्ष एवं अशोक ढल सचिव बने

रामगंजमण्डी, (निसं)। एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन कोटा ईकाई द्वितीय की साधारण आम सभा एवं पिकनिक का आयोजन कोटा में शुक्रवार को आयोजित किया गया। सभा में कोटा, बांरा, बूंदी एवं झालावाड़ के तीन सौ से अधिक एसबीआई पेंशनर्स एवं परिवाजन ने भाग लिया।

अध्यक्ष आर के जैन द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया और सचिव अशोक कुमार ढल द्वारा विगत सत्र की गतिविधियों एवं आय-व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और सेवा संस्थान की गतिविधियों के बारे में बताया। पिछली बैठक के पश्चात् अस्सी वर्ष पूर्ण कर चुके वरिष्ठ साथियों एवं सभी नये सदस्यों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसबीआई कोटा अंचल प्रशासनिक कार्यालय कोटा के उपमहाप्रबंधक कल्याण गजवेल्लि थे।

विशिष्ट अतिथि सहायक महाप्रबंधक कोटा नवीन लखवानी एवं मुख्य प्रबंधक सत्येन्द्र जयसवाल थे। एसोसिएशन के चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी एस पी अग्रवाल की देखरेख में हुए। जिसमें आर के जैन को अध्यक्ष पद एवं अशोक कुमार ढल को सचिव पद, आर एस गुप्ता, एल आर सिन्हा, पवन अग्रवाल एवं संजीव शंकर झा, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए।

अन्य सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव भी सर्वसम्मति से संपन्न हुए। आम सभा पश्चात् मनोरंजन से भरपूर गेम्स, हाऊजी व लक्की ड्रा आदि ने सभी को हर्षित एवं रोमांचित किया। अन्त में जयपुर सर्किल के उपाध्यक्ष आर एस गुप्ता द्वारा सभी उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में राम गोपाल मराठा, जयदेव चौथवानी, संतोष कर्मचंन्दानी, प्रकाश खुशलानी और पी सी सोनी का योगदान रहा।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' पर विचार गोष्ठी

कोटा, (निसं)। राजकीय महाविद्यालय कोटा के रामानुजन हॉल में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा) की स्थानीय इकाई राजकीय महाविद्यालय कोटा एवं राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के संयुक्त तत्वावधान में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रो.प्रतिमा श्रीवास्तव ने की, मुख्यवक्ता कोटा विश्वविद्यालय कोटा में रसायन शास्त्र के प्रो.भवानी सिंह, विशिष्ट वक्ता सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा प्रो. विजय कुमार पंचोली, विभाग संयोजक नवीन मित्तल भी मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रो. रामावतार मेघवाल (विभाग सह-संयोजक) ने किया। कार्यक्रम में प्रारंभ में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया।

कार्यक्रम के मुख्यवक्ता प्रो.भवानी सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोलते हुए कहा कि 1986 में लागू शिक्षा नीति में समय के अनुसार बदलाव की आवश्यकता के कारण नये संदर्भ और परिस्थितियों के अनुकून राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की गई।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए हमें सकारात्मक दिशा में कार्य करने होगा। समयानुसार पाठ्यक्रमों में बदलाव करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध पहलुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। क्रियान्वयन की तीव्रता पर उन्होंने कहा कि इसके लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय को मिलकर काम करना होगा।

'अपात्र लाभार्थी से स्वेच्छा से नाम हटवाएं'

कोटा, (निसं)। राज्य सरकार द्वारा संचालित गिव-अप अभियान के तहत कोटा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त लाभ को त्यागने की अपील की है, ताकि वे वास्तविक पात्र व जरूरतमंद परिवार इस योजना से लाभान्वित हो सकें जो अभी तक इससे वंचित हैं।

जिला कलेक्टर द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि सरकार की मंशा अपात्र लाभार्थियों पर कठोर कार्रवाई करने की नहीं है, बल्कि उन्हें स्वेच्छा से योजना से बाहर होने का अवसर देने की है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन या महंगे व्यावसायिक वाहन (जिनकी अनुमानित कीमत 10 लाख या उससे अधिक हो), बड़े पक्के मकान, एयर कंडीशनर, अत्यधिक बिजली बिल, बड़ी कृषि भूमि अथवा विरासत में प्राप्त संपत्ति है, वे इस खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र नहीं हैं।

इसके अलावा जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी सेवा में है या निजी क्षेत्र में एक लाख रुपए से अधिक मासिक वेतन या पेंशन प्राप्त करता है, वे भी योजना से बाहर होने के योग्य हैं। इसी प्रकार वृद्धावस्था पेंशनधारी के राशन कार्ड में जुड़े ऐसे आर्थिक रूप से सक्षम सदस्य जो अनाधिकृत रूप से योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें भी इस सूची से नाम हटवाना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा सूची से स्वैच्छा से नाम हटवाने वाले लाभार्थी भविष्य में संभावित प्रशासनिक कार्रवाई जैसे गेहूं की वसूली आदि से बच सकेंगे। साथ ही, इससे उन सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा जो पात्र होते हुए अभी तक योजना के लाभ से वंचित हैं। जिला कलक्टर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे ईमानदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए।

नाम परिवर्तन

मैं, कोशल, माता सैनिक संख्या 15712726N NK विकास कुमार, निवासी गांव, पोस्ट-फुगाना, तहसील-बुढाना, जिला-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-247776, मैंने अपना नाम कौशल्या देवी (जन्मतिथि 01.05.1958) से बदलकर कौशल (जन्मतिथि 01.01.1963) रख लिया है। भविष्य में मुझे कौशल, (जन्मतिथि 01.01.1963) के नाम से ही जाना पहचाना जाए। शपथ पत्र संख्या BZ 256354 दिनांक 30.07.2025

मैं, जगमेर पिता सैनिक क्रमांक 15712726N NK विकास कुमार, निवासी ग्राम, पोस्ट-फुगाना, तहसील-बुढाना, जिला-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-247776, ने अपना नाम जगमेहर (जन्मतिथि 15.08.1953) से बदलकर जगमेर (जन्मतिथि 01.01.1962) रख लिया है। भविष्य में मुझे जगमेर (जन्मतिथि 01.01.1962) के नाम से ही जाना पहचाना जाए। शपथ पत्र संख्या BZ 256355 दिनांक 30.07.2025

तरुण कुमार जिला संगठन मंत्री बने

कोटा, (निसं)। भारतीय किसान संघ जिला कोटा के संगठन मंत्री के पद पर तरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह ने कोटा बूंदी के प्रवास के दौरान यह घोषणा की। इस दौरान भारतीय किसान संघ के संस्थापक सदस्य मोहनलाल नागर, राष्ट्रीय घुमंतू कार्य प्रमुख मणिलाल लबाणा, प्रदेश राजस्व मंत्री शिवराज पुरी, चित्तौड़गढ़ प्रांत संगठन मंत्री परमानंद, प्रांत महामंत्री अंबालाल शर्मा, महिला प्रमुख राममूर्ति मीणा, रजनी धाकड़, संतोष नागर, कोटा संभाग अध्यक्ष गिरिराज चौधरी, संभाग उपाध्यक्ष मोहनलाल नागर, कोटा जिला अध्यक्ष जगदीश शर्मा, बूंदी जिला अध्यक्ष संतोष दुबे, बारां जिला अध्यक्ष अमृतलाल, कोटा जिला मंत्री रूपनारायण यादव, कार्यालय मंत्री महावीर नागर, बूंदी जिला उपाध्यक्ष, जिला मंत्री चंद्रप्रकाश मीणा, जिला उपाध्यक्ष भूरालाल धाकड़ समेत हाड़ौती कार्यकर्ता एवं किसान बंधु उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (गैराज)

क्रमांक : ननिको(उ)/गैरीज/2025/1260–1270 दिनांक : 24.07.2025

–: अल्पकालिन पुन: ई–निविदा सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा उत्तर के गैरीज अनुभाग में वृक्षारोपण के लिए गढ्ढे करने हेतु ट्रेक्टर मय ड्रिलमशीन किराये पर मय डीजल आपूर्ति हेतु संबंधित संवेदकों से ऑनलाईन निविदा पद्धति से नियमानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संवेदक निविदा प्रपत्र एवं शर्ते **SPPP.Rajasthan.Gov.In, Kotamc.org, http://eproc.rajasthan.gov.in** पर प्राप्त कर सकेगें।

U.B.N. Code No. DLB2526WSRC 13049
NIB : DLB2526A4091

उपायुक्त (गैरीज)
नगर निगम कोटा उत्तर

राज.संवाद/सी/25/7305

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

क्रमांक:–ननिको(उ.)/जनस्वा0/2025/482–492 दिनांक :– 29.07.2025

–:: निविदा निरस्त सूचना ::–

इस कार्यालय द्वारा जारी नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र के मुख्य मार्गो व अन्य आयोजनो हेतु आवाश्यकतानुसार सफाई कार्य हेतु 310 बीट श्रमिक आपूर्ति कार्य का वार्षिक अनुबंध कार्य हेतु ई–निविदा सूचना क्रमांक ननिको(उ)/जनस्वा0/2025/372–84 दिनांक 23.06.2025 को निविदा जारी की गई थी। उक्त निविदा को अपरिहार्य कारणो से निरस्त किया जाता है।
यह आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

अति० आयुक्त
नगर निगम, कोटा उत्तर

राज.संवाद/सी/25/7302

कार्यालय नगर पालिका मण्डल मांगरोल जिला–बारां (राज0)

E-mail – npmangrol05@gmail.com PH. No. – 07457-223203

कमांक/भूमि/2025/2102 दिनांक 30.07.2025

सार्वजनिक/आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि नगर पालिका मागरोल मे नामान्तरण, मकान बेचान अनापत्ति, हकत्याग अनापत्ति, भवन निर्माण स्वीकृती इत्यादि हेतु पत्रावलीयां प्राप्त हुई है। जिनकी जांच की जा रही है। अतः निम्नाकित आवेदनो के निस्तारण किये जाने मे किसी को कोई आपत्ति हो तों सूचना प्रकाशन के अन्दर अवधि 7 योम में अपना आपत्ति मय दस्तावेज पालिका में उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। अवधि समाप्ति पश्चात कोई एतराज/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क. स.	नाम आवेदक	पता	सम्बन्धित विवरण
1	अब्दुल सलाम पुत्र पीर मोहम्मद	वार्ड नं. 20 सिपाई मोहल्ला मांगरोल	हकत्याग अनापत्ति
2.	जाकिर हुसैन पुत्र अब्दुल हमीद	वार्ड नं. 21 जामा मस्जिद के पास, मांगरोल	नामान्तरण
3.	कृष्णमुरारी पुत्र भैरुलाल गालव	वार्ड नं. 04 ईटावा रोड काज्या टोडी मांगरोल	नामान्तरण
4.	गायत्री बाई पत्नी सत्यनारायण गालव	वार्ड नं. 18 छोटा बाजार, मांगरोल	मकान बेचान अनापत्ति

राज.संवाद/सी/25/7301 अधिशाषी अधिकारी